न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 20 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट

1. भूराराम पुत्र करनाराम
2. सोनाराम पुत्र करनाराम
3. वांकाराम पुत्र करनाराम का.मु.
   3 / 1जगदेव पुत्र वांकाराम
   3 / 2हनुमान पुत्र वांकाराम
   3 / 3दूगीदेवी पत्नी वांकाराम
4. नानगाराम पुत्र लाधाराम जाति जाट निवासी मूल गांव खुडासा वर्तमान राजस्व गांव भादुओं का डेर पटवार क्षे. खुडासा तहसील व जिला बाड़मेर (राज.)

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.जोगाराम पुत्र कुम्भाराम
2.वालाराम पुत्र कुम्भाराम
3.उम्मेदाराम पुत्र कुम्भाराम
4.मालाराम पुत्र अमराराम
5.फुसाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी मूल गांव नोख वर्तमान राजस्व ग्राम पोकर भादु की ढाणी पटवार क्षे. खुडासा तहसील व जिला बाड़मेर
6.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर(राज)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 14 / 2022 बअनवान भूराराम वगै. बनाम जोगाराम वगै. आदेश दिनांक 24.01.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री उगराराम सहारण रेस्पोडेंट संख्या 04 की ओर से।
3. वकील श्री गणपत गुप्ता रेस्पोडेंट संख्या 05 की ओर से।
4. वकील श्री कैलाश कुमार रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 15.06.2022

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। चारों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपीलांटगण के अधिवक्ता ने बहस निवेदन किया कि अपीलांटगण का कदीमी काश्त एवं खातेदारी का खेत खसरा नं. 06 करीबन 78.03 बीघा का सेटलमेंट ग्राम खुडासा वर्तमान राजस्व ग्राम भादुओं का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

डेर पटवार क्षेत्र खुडासा तहसील बाड़मेर में आया हुआ है जिसको अपीलांटगण के पूर्वज करनाराम पुत्र उमाराम ने गत पैमाईश के समय अमीन के साथ रहकर नपवा दिया था, इस खेत के चारों तरफ पीढियों की पुरानी माठे मौके पर मौजूद है और तारबंदी की हुई हैं जिसमें अपीलांटगण की पुरानी दौ ढाणी और चार टांके आदि बने हुए हैं जिस ढाणी में अपीलांटगण व उनके परिवार के सदस्य निवास करते आ रहे हैं। इस पूरे खेत को अपीलांटगण के पूर्वज करनाराम व उसके पश्चात अपीलांटगण वक्त सेटलमेंट व उसके पहले व उसके बाद आज तक लगातार बहैसियत खातेदार काश्त करते आ रहे है और इसकी कुदरती पैदावार भी हर साल लेते आ रहे है। सेटलमेंट के समय अपीलांटगण के खेत खसरा नम्बर 06 की 19 बीघा भूमि, जो इस वाद के साथ में पेश नक्शा में परिशिष्ठ "'अ' में बरंग "लाल" से A.B.C.D.E.F.G.H. दर्शाई गई है, भूल से भूमि कटकर उतरदातागण संख्या 01 से 03 के पिता कुम्भाराम, उसके भाई चुतराराम, भैराराम पुत्र खेताराम के खसरा नं. 01 में 04.10 बीघा, उतरदाता संख्या 05 के बेचानकर्ता भीखाराम पुत्र वागाराम पुत्र गोकलाराम के खसरा नं. 25 में 09.10 बीघा, उतरदाता संख्या 04 के पिता अमराराम पुत्र खेराजराम के खेत खसरा नं. 30 में 05 बीघा कुल रकबा 19 बीघा भूमि में सेटलमेंट वालो की गलती से दर्ज़ हो गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत है तथा अपीलांट को अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त में दखलंदाजी कर रहे है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है है जिसें अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जान संभव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार फरमाई जावे। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः—

AIR 2011 Page 47
DNJ 2014(1)(Raj.) Page 35
RRT 2020(2) Page 1081
CCC 2000(2) Page 574
RLW 1998(2) Page 741
DNJ 2012(2) Page 12
CCC 2015(2) Page 427
RLW 1998(2) Page 1320
RRD 1974 Page 475

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

CCC 1999(Suppl.) Page 232
RLW 1995(2) Page 355

वकील रेस्पोडेंट संख्या 04 ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खतेदार है। हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2022 को जो आदेश पारित किया गया वो एकपक्षीय पारित किया गया। उतरदातागण की अनुपस्थिति में रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध इंजेक्शन जारी किया गया जो कतई न्यायोचित नहीं है। वक्तसेटलमेंट के 70 वर्ष पश्चात कल्पनाओं के आधार पर दावा पेश किया गया। वादीगण/अपीलांट अपने स्तर पर सीमाज्ञान करवा जिसमें रेस्पोडेंटस को किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा एकपक्षीय मौका फर्द को आधार बनाकर दावा पेश किया गया जो सरासर गलत एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलाधीन आराजी दो अलग अलग राजस्व गांवों की सीमा पर अवस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्णत पालन किया गया। अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 05 ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खतेदार है। हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2022 को जो आदेश पारित किया गया वो एकपक्षीय पारित किया गया। उतरदातागण की अनुपस्थिति में रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध इंजेक्शन जारी किया गया जो कतई न्यायोचित नहीं है। अपीलांटगण द्वारा सुदीर्घ अवधि के पश्चात दावा पेश किया गया। अतः अपीलांटगण की अपील खारिज फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 ने बहस करते हुए बताया कि हाजा न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंटस को सुने बिना एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया गया। रिकॉर्डेड खातेदार को सुने बिना स्थगन आदेश पारित किया जो कतई न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। रेस्पोडेंटगण द्वारा मूल दावे के विचारण में रहते हुए अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते है तो अपीलांटगण के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील को आंशिक स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट द्वारा पेश शपथ–पत्र पर विश्वास कर आंशिक स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन आवेदन अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अधिकतम दो माह में राजस्व आवेदन संख्या 14/2022 भूराराम वगै. बनाम जोगाराम वगै. का निस्तारण करे। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.06.2022 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 15.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर